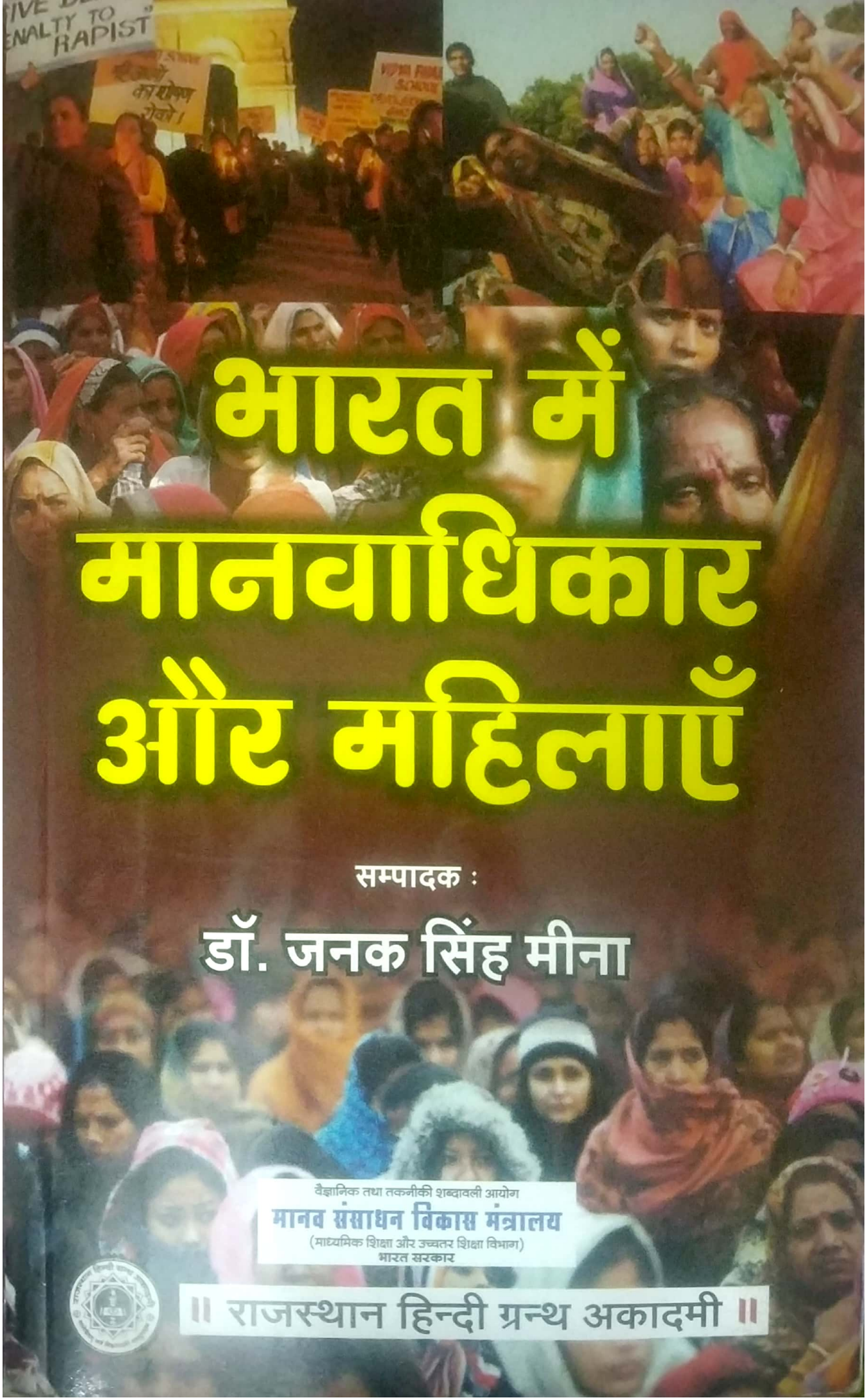

भारत में मानवाधिकार और महिलाएँ

सम्पादक :

डॉ. जनक सिंह मीना

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग)
भारत सरकार

॥ राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी ॥

Scanned by CamScanner

अध्याय

12

मानवाधिकार और कन्या भ्रूण हत्या

मानवाधिकार का विचार उतना ही पुराना है जितनी मानव सभ्यता। प्रत्येक समाज का संचालन कुछ नैतिक मापदण्डों पर होता है। समाज की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इन नैतिक मूल्यों का पालन किया जाए तथा यदि कोई व्यक्ति इनका पालन नहीं करता है तो नियमानुसार दण्ड दिया जाए। सामाजिक जीवन की वे दशाएं जो मानव एवं कानूनसम्मत कार्यों को संपादित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दें, मानवाधिकार कहलाती हैं। मानव को प्रकृति द्वारा भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं उन्हें मानवाधिकार कहा जाता है। प्रत्येक नागरिक के लिए इन्हें सुनिश्चित करना संबंधित सरकार का दायित्त्व है।

मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति भयावह होती जा रही है। मानव ही मानव का भक्षक है, यह उक्ति कन्या भ्रूण हत्या के संबंध में चरितार्थ होती है। बालिकाओं की वर्तमान स्थिति के अध्ययन से पता चलता है कि जनसंख्या में उनका अनुपात कम है। पोषण स्तर भी बालकों की तुलना में कम है। मृत्युदर ऊँची हैं एवं स्कूलों में भर्ती दर कम है, साथ ही पढ़ाई बीच में छोड़ देने की दर अधिक है।

नयी शताब्दी में नारी की सर्वथा एक नयी छवि उभर रही है। पिछली सदियों में जो बेड़ियाँ उसे जकड़े थीं उन्हें तोड़कर आज वह अपनी नयी पहचान बनाने में जुटी है। वह न केवल हर क्षेत्र में शीर्ष पर पहुँच रही है, वरन् भीड़भाड़ भरी महानगरों की बसों में बस कंडक्टर बनकर तथा ट्रेन में चालक बनकर अपने साहस का परिचय भी दे रही हैं। प्रथम महिला पायलट दूबी बनर्जी ने उड़ान भरकर सबको चमत्कृत कर दिया जिसका अनुसरण कर सौदामिनी देशमुख जैसी अन्य महिलाएँ भी इस दिशा में आगे आईं। परंतु महिलाओं की उन्नति के बावजूद समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध होना अपने आप में शर्म की बात है। एक ओर नारी सशक्तीकरण का शंखनाद चारों ओर गुंजायमान हो रहा है वहीं दूसरी ओर महिलाओं की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। यह कैसा सशक्तीकरण है?

Scanned by CamScanner

स्त्री एवं पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। एक पक्ष के बिना दूसरा पक्ष अधूरा है। परिवार केवल पुरुष से ही नहीं बनता, वह स्त्री-पुरुष दोनों के युग्म से बना है। स्त्री-पुरुष की इस एक दूसरे पर निर्भर रहने की प्रवृत्ति के कारण ही परिवार बने तथा परिवारों से समाज बना। परंतु आज का मानव इस सामाजिक व्यवस्था को विकृत करने पर तुल गया है। स्त्री-पुरुष के अनुपात में साम्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वस्तुतः नर और नारी एक दूसरे के पूरक हैं और अन्योन्याश्रित रूप से रहकर ही अपने जीवन को प्रगति पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। शास्त्रों में अर्द्धनारीश्वर का वर्णन मिलता है जो नर नारी के पारस्परिक संबंध को मान्यता देते हैं।

यदि संपूर्ण भारत की तस्वीर देखें तो भारत में स्त्रियों की संख्या में निरंतर कमी दिखेगी। यह एक चिंता का विषय है। यह स्त्री समुदाय पर बढ़ते हुए अत्याचार का द्योतक है। तमाम कानूनों के बावजूद भारतीय समाज में महिलाओं पर अत्याचार घर-घर की कहानी है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी घर की कहानी उजागर हो जाती है और किसी घर की दीवार के पीछे ही सिसक-सिसक कर, घुट-घुट कर दम तोड़ देती है।

सन् 1950 से पूर्व अनेक देशों में गर्भपात को नियंत्रित करने वाले कानून बहुत कठोर थे। गर्भपात पूर्णतः प्रतिबंधित था। लेकिन अवैध गर्भपात जारी थे। भारत में वर्ष 1972 से पूर्व गर्भवती महिला का जीवन बचाने को छोड़कर गर्भपात करना अवैध था। 1964 में गर्भपात कानूनों को लचीला बनाने के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए शांतिलाल शाह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। 1966 में इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर 1971 में भारतीय संसद द्वारा चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम बनाया गया जो पूरे देश में 1 अप्रेल, 1972 से लागू हो गया। यह विश्व के सबसे अधिक लचीले कानूनों में से हैं।

प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के अंतर्गत जेनेटिक लैब, अल्ट्रासोनोग्राफी केंद्र आदि आते हैं। इन जाँचों में गर्भ केवल गुणसूत्री संबंधी विकृति, रुधिर वर्णिक संबंधी रोग, आनुवांशिक उपापचय रोग, लिंग संबंधी आनुवांशिक रोग, जन्मजात विकृतियों का परीक्षण भी किया जा सकता है। परंतु अब इसका दुरुपयोग करके लिंग परीक्षण किया जाने लगा है। गर्भ में कन्या शिशु का पता चलते ही गर्भपात करवा लिया जाता है। सच्चर रिपोर्ट के अनुसार शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के बावजूद मुसलमानों में लिंगानुपात राष्ट्रीय आँकड़ों की तुलना में बेहतर है।

विभिन्न कारणों से जनगणना 2011 के निष्कर्षों की उत्सुकता से प्रतीक्षा थी। कुछ विद्वान बिल्कुल उसी प्रकार के परिणामों की भविष्यवाणी पहले से ही कर रहे थे। राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण (सबसे ताजातरीन सर्वेक्षण 2005-06 का

Scanned by CamScanner

है) और जन्म का नमूना पंजीकरण प्रतिवर्ष अपने आँकड़े जारी किया करते थे। उनमें जो महत्त्वपूर्ण भिन्नताएँ थीं, वे भी प्रकट हो रही हैं। तो प्रश्न है कि क्या समस्या 'हमारी सोच' से जुड़ी है, जो समानता के आधुनिक मूल्यों के उलट है? या फिर जो कुछ हो रहा है उसके पीछे आधुनिकता की कोई भूमिका है? एक ओर तो कुछ पैरोकारों का यह कहना है कि धूर्त डॉक्टरों के आपराधिक कृत्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उन्हें सजा दिलाई जानी चाहिए, वहीं कुछ का कथन है कि लिंग चयन के विरुद्ध राय बनती जा रही है, जो अपने आप में एक और समस्या को जन्म दे रही है। कुछ की राय है कन्या भ्रूण हत्या के रूप में महिला जाति के नाश का प्रचलन जोर पकड़ रहा है तो अन्य लोगों को आशा है कि स्थिति में बदलाव आएगा।

सामाजिक जीवन की वे दशाएँ जो मानव को समाज एवं कानून सम्मत (संविधान के अनुरूप) कार्यों को संपादित करने की पूर्ण स्वतंत्रता दे, मानवाधिकार कहलाते हैं। मानवाधिकार को कभी-कभी मूल अधिकार, अंतर्निहित या जन्मजात अधिकार या नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है यानि मानव को प्रकृति द्वारा ही कुछ अधिकार प्राप्त हैं जिनको मानवाधिकार कहा जाता है। प्रत्येक नागरिक को इन्हें सुनिश्चित करना संबंधित सरकार का दायित्व है। मानवाधिकार का सार्वभौमिक तथ्य है कि मानव प्रकृति की नायाब कृति है, आधार मानते हुए प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या लिंग का हो सम्मानजनक जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थिति भयावह होती जा रही है। कहा भी गया है, "मानव ही मानव का भक्षक है" स्थिति पर अंकुश लगाने हेतु ही वर्तमान में मानवाधिकार संरक्षण की चर्चा वैश्विक रूप ले रही है।

बीसवीं सदी के मध्य से ही विश्व के अनेक देशों में स्त्री स्वातंत्र्य एवं महिला जागरण के स्वर मुखर होने लगे थे। सौ वर्ष पूर्व, 1900 में, केवल एक ही देश न्यूजीलैंड में स्त्री को मत देने का अधिकार था। 1920 में ब्रिटेन में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला। तदोपरांत यूरोप के अधिकांश भागों तथा अमेरिका में भी स्त्रियाँ मतदान देने योग्य समझी गयीं। 1948 में भारत की आजादी के एक वर्ष बाद, संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार घोषणापत्र जारी किया और इतिहास में प्रथम बार स्त्री-पुरुष के समान अधिकारों के मुद्दे को महत्त्वपूर्ण माना।

उसके बाद संघर्ष चलता रहा। कभी तीव्र गति के साथ तो कभी धीमा। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया। अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन हुआ और यह स्वीकार किया गया कि विश्व समाज अब आधी मानवता की दासता को और अधिक सहन नहीं करेगा। विश्व महिला सम्मेलनों का दौर इसी के साथ आरंभ हो गया।

Scanned by CamScanner

महत्त्वपूर्ण सम्मेलन निम्न हैं—

1. 1975–मैक्सिको
2. 1980–कोपेनहेगन
3. 1985–नैरोबी
4. 1995–पेइचिंग अंतर्राष्ट्रीय मंच पर महिलाओं की समस्याएँ एवं महिलाओं से जुड़े विषय उभरने लगे। भोजन, जनसंख्या एवं मानव अधिकारों की बात जोर पकड़ने लगी।

भारत में बदलते हालात

सर्वाधिक क्रांतिकारी कदम था, तृणमूल स्तर पर महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण। संविधान में तिहत्तरवें एवं चौहत्तरवें संशोधन अधिनियमों ने भारतीय स्त्री को सही अर्थों में प्रथम बार सच्ची राजनीतिक सत्ता स्थानीय स्तर पर सौंपी है।

"स्त्री के साथ मतभेद मानवीय अस्मिता के सम्मान अथवा अधिकारों की समानता के सिद्धांत का हनन है। देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन में पुरुष के साथ समानस्तर पर स्त्री की भागीदारी की राह में रोड़ा है। स्त्री के साथ भेदभाव परिवार एवं समाज की संपन्नता के मार्ग में बाधक है–मानवता एवं अपने देश की सेवा करने की राह में स्त्री की संपूर्ण क्षमताओं के पूर्ण विकास की प्रक्रिया को यह कठिनतर बनाता है।"

विश्व स्तर पर विचारधारा में बदलाव

- 1948 में सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र–"मानव परिवार के सभी सदस्यों को समान जरूरी अधिकार"।
- 1975 में मैक्सिको में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ प्रथम महिला सम्मेलन द्वारा महिला आंदोलन को विश्व स्तरीय घटनाक्रम का दर्जा देना तथा संयुक्त राष्ट्र संघ महिला दशक की घोषणा।
- 1979 में स्त्री के साथ सभी प्रकार के भेदभावों को मिटाने के लिए एक संविधान बनाकर सभी राष्ट्रों को संदेश–स्त्री एवं पुरुष की क्रमशः लैंगिक हीनता एवं श्रेष्ठता की धारणा पर आधारित सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवहार को बदलने का उद्देश्य।
- 1980 में द्वितीय संयुक्त राष्ट्र संघ महिला सम्मेलन, कोपेनहेगन में स्त्री विकास के मुद्दे पर विचार।
- 1985 में तृतीय संयुक्त राष्ट्र संघ महिला सम्मेलन, नैरोबी द्वारा विश्वभर में महिलाओं द्वारा गैर-सरकारी संस्थाओं के गठन में तथा विकास करने में सहभागिता की जिम्मेदारी।
- 1992 में भारतीय संसद द्वारा संविधान में तिहत्तरवाँ और चौहत्तरवाँ संशोधन

Scanned by CamScanner

अधिनियम पारित जिसके द्वारा तृणमूल स्तर पर प्रजातंत्र की स्थापना एवं महिलाओं को नेतृत्व प्रदान कर उनके लिए एक नयी भूमिका का निर्धारण।

- 1993 में स्त्री के साथ हिंसा निवारण घोषणा पत्र-"स्त्री के साथ हिंसक व्यवहार स्त्री की मूलभूत स्वतंत्रता एवं उसके अधिकारों का हनन है।"
- 1995 में चतुर्थ महिला विश्व सम्मेलन, पेइचिंग में लैंगिक मुद्दों एवं विषयों को सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों में प्राथमिकता प्रदान करने पर बल। स्त्री को समाज का पूर्ण एवं समान भागीदार बनाने तथा स्त्रियों के लिए सहयोगी कार्यक्रम चलाने के लिए धरातल तैयार करना।
- 2000 में राष्ट्र सरकारों में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार बनाना तथा पारिवारिक हिंसा के प्रश्न को जोरदार ढंग से कार्यक्रम का हिस्सा बनाया।

कानूनी पहलू

लिंग जाँच प्रतिबंधक कानून का इतिहास

सन् 1994 में केन्द्र सरकार ने लड़कियों की घटती हुई संख्या पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से पूरे देश में प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स (रेगुलेशन एवं प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज) एक्ट यानी प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 (विनियमन व दुरुपयोग की रोकथाम) बनाया।

सन् 1994 में यह कानून बनाया गया और 1996 में लागू किया गया लेकिन इस कानून की समझ आम लोगों को नहीं थी। इसके चलते टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग हो रहा था, सोनोग्राफी सेंटर्स में लिंग जाँच बेरोकटोक जारी थी और कानून को व्यवहार में नहीं लाया जा रहा था। फलस्वरूप यह तथ्य प्रत्यक्ष रूप से सामने आया कि लड़कियों की संख्या घटती जा रही है। इसलिए वर्ष 2000 में पुनः इसमें संशोधन किया गया जिसमें गर्भधारण पूर्व लिंग निर्धारण पर भी रोक लगाई गई।

पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत उल्लंघन करने वालों पर लगाम कसने के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। परंतु कुछ मामलों में परिवाद पेश करने में देरी होने की वजह से उल्लंघन करने वाले सेंटर कानून को चकमा दे अपना काम निकाल रहे हैं।

उदाहरण के लिए जून, 2010 को जब राज्य निरीक्षण दल द्वारा जोधपुर के महात्मा गाँधी सोनोग्राफी सेंटर का निरीक्षण किया गया तब वहाँ फार्म एफ नहीं भरे जा रहे थे तथा मौके पर वहाँ पंजीयन प्रमाणपत्र व अन्य दस्तावेज भी नहीं पाए गए। निरीक्षण के कई दिनों के बाद भी इस सेंटर के विरुद्ध परिवाद पेश नहीं हुआ।

सेंटर ने इस गंभीर गलती का पूरा फायदा उठाते हुए 1 सितम्बर, 2010 को अपनी मशीन छुड़वाने हेतु कोर्ट से अनुरोध किया। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच के पास मशीन छोड़ने के एकतरफा आदेश देने के अलावा और कोई विकल्प

Scanned by CamScanner

नहीं था। मशीन मुक्त किए जाने के बारे में पूछने पर जोधपुर के डिप्टी सीएमएचओ डॉ. सुरेन्द्र शेखावत ने फैसले को इस आधार पर सही बताया कि यह फैसला कोर्ट द्वारा लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि आगे किसी कार्यवाही की जरूरत नहीं है क्योंकि यह सेंटर पीसीपीएनडीटी एक्ट की पूरी पालना कर रहा है। इस बीच आरटीआई के जरिए सीएमएचओ कार्यालय से प्राप्त सूचना दर्शाती है कि जोधपुर जिले में लगभग 40 प्रतिशत पंजीकृत सेंटरों ने जनवरी से अप्रैल 2010 के बीच कोई फार्म एफ नहीं भेजे और बाकी सेंटरों द्वारा भेजे गए फार्म एफ की संख्या बहुत कम थी।

कानूनी प्रावधान

- गर्भधारण पूर्व लिंग निर्धारण और प्रसव पूर्व लिंग जाँच करना कानूनन जुर्म है।
- लिंग जाँच, निर्धारण और निदान आदि से संबंधित किसी भी तरह के विज्ञापन पर प्रतिबंध है।
- किसी भी प्रकार से भ्रूण का लिंग बताना कानूनन जुर्म है।
- अल्ट्रासाउंड मशीन के इस्तेमाल के लिए संबंधित क्लिनिकों का पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- विशिष्ट जेनेटिक विकृति से निदान पाने के लिए प्रसव पूर्व निदान तंत्र के इस्तेमाल की इजाजत इस कानून में दी गई है।
- कानून को भंग करने पर इस तंत्र में दोषियों के लिए सजा निर्धारित की गई है।
  - ❑ गर्भधारण पूर्व लिंग निर्धारण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम
  - ❑ लिंग चयन को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा लिंग परीक्षण तकनीक अधिनियम बनाया गया है।
- भ्रूण के लिंग की जाँच कराना या जाँच कराने के लिए माता को उकसाना या दबाव डालना या जाँच के लिए ले जाना कानूनन अपराध है।

दण्ड के प्रावधान

- प्रथम बार दोषी पाये जाने पर 3 वर्ष तक का कारावास तथा रु. 50,000/- तक जुर्माना।
- दुबारा दोषी पाये जाने पर 5 वर्ष तक का कारावास तथा एक लाख रूपये तक जुर्माना हो सकता है।
- डॉक्टर के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही चलेगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मेडिकल काउंसिल को उस डॉक्टर के विरुद्ध कार्यवाही करने की रिपोर्ट भेजेगा। जब तक मामला विचाराधीन हो और मामला तय न हो जाये तो संबंधित डॉक्टर का पंजीकरण स्थगित किया जा सकता है।

Scanned by CamScanner

- डॉक्टर दुबारा दोषी पाया गया तो हमेशा के लिए मेडिकल काउंसिल की सदस्यता खो देगा।

पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. अधिनियम के अंतर्गत अपराध कौन कौन से हैं?

- पंजीकरण न कराना।
- भ्रूण के लिंग की जानकारी देना।
- लिंग का पता लगाना।
- लिंग परीक्षण संबंधी विज्ञापन देना।
- रेकॉर्ड का रखरखाव न करना।

कानून को हम व्यवहार में किस प्रकार ला सकते हैं?

1. हमें समुचित प्राधिकारी से कानूनन जानकारी पाने और क्लीनिक के सही गलत काम पर निगरानी रखने तथा सच्चाई को लोगों के सामने लाने का अधिकार है। प्राप्त की गई जानकारियों का उपयोग हम कानून का उल्लंघन कर रहे पंजीकृत क्लीनिक, डॉक्टर या समुचित प्राधिकारी के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं।
2. हम प्रमाणित किए गए फार्म को भरकर समुचित प्राधिकारी से पंजीकृत क्लीनिकों के बारे में या उसके काम के बारे में पूरी जानकारी कानूनन माँग सकते हैं।
3. कानून ने स्वयंसेवी संस्थाओं को क्लीनिकों व डॉक्टरों के खिलाफ समुचित प्राधिकारी के पास शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी है। नीचे दिए गए मामलों में समुचित प्राधिकारी के पास शिकायत दर्ज की जा सकती हैं–
   - 'लिंग जाँच कानून अपराध है' लिखा बोर्ड कोई क्लीनिक न लगाए।
   - यदि क्लीनिक में पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित न करे।
   - यदि क्लीनिक फार्म 'एफ' को पूरी तरह भरकर समुचित प्राधिकारी को प्रत्येक माह न भेजे।
   - यदि क्लीनिक ओ.पी.डी. रजिस्टर सही ढंग से न भरे।
   - यदि क्लीनिक लिंग जांच करने की किसी भी प्रकार से विज्ञापन दे।
   - यदि क्लीनिक पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट व नियम की कम से कम एक कॉपी अपने यहाँ न रखे।
   - यदि क्लीनिक में मशीन चलाने वाला व्यक्ति योग्य न हो तो उसके खिलाफ संस्था समुचित प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करवाएगी।
4. शिकायत दर्ज होने के बाद अगर समुचित प्राधिकारी 15 दिन के अंदर

Scanned by CamScanner

उस क्लीनिक के विरुद्ध कोई कार्यवाही करता है तो वो संस्था या उसका प्रतिनिधि सीधे जूडिशियल मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी के समक्ष उस क्लीनिक, डॉक्टर तथा समुचित प्राधिकरण के खिलाफ शिकायत दर्ज करेगा।

5. प्रत्येक पंजीकृत क्लीनिक प्रतिमाह अपनी रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी के पास भेजता है। क्लीनिक के बारे में फार्म 'एफ', प्रयोगशाला के बारे में फार्म 'ई' और काउंसलिंग सेंटर के बारे में फार्म 'डी' को समझना, जानना और उसकी जानकारी लिखित रूप से समुचित प्राधिकारी से पाना संभव है।
6. स्वयंसेवी संस्था समुचित प्राधिकारी से एकत्रित किए गए फार्म 'एफ' की सोशल ऑडिट कर सकती है। सोशल ऑडिट से पता चल सकता है कि डॉक्टर व क्लीनिक कहीं लिंग जाँच तो नहीं कर रहे।
7. किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा पी.सी. एण्ड पी.एन.टी. एक्ट को व्यवहार में लाने की इच्छा रखना व कानूनी जानकारी की माँग करना भी बहुत महत्त्वपूर्ण है।
8. समुचित प्राधिकारी कानूनी जानकारी माँगने से भी दबाव बन सकता है और स्थिति को कुछ हद तक ठीक करने में मदद मिल सकती है।
9. कानून में यह प्रावधान है कि तीन स्वयंसेवी संस्थाएँ जिला सलाहकार समिति की सदस्य चुनी जाएंगी। सलाहकार समिति के सदस्य चुने जाने के उपरांत संस्थाओं के पास अधिक ताकत आ जाती है, जिसका उपयोग वे क्लीनिक द्वारा किए जा रहे गलत कार्यों को रोकने में कर सकती है।
10. सलाहकार समिति की सदस्यता के बाद संस्था किसी भी क्लीनिक पर डिकॉय की मदद से छापा डाल सकती है तथा उसे क्लीनिक में उपलब्ध सभी दस्तावेजों को जाँच करने तथा कब्जे में लेने का अधिकार होता है।

देश में कन्या भ्रूण हत्या रोकने के उद्देश्य से 1994 में बनाया गया प्रसव पूर्व परीक्षण तकनीक अधिनियम जिसे 2002 में संशोधित किया गया, गंभीरतापूर्वक लागू नहीं किए जाने के कारण अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा है। साथ ही इसमें किए गए प्रावधान इतने लचर और संकीर्ण रूप में परिभाषित हैं कि उनका क्रियान्वित किए जाने से भी अच्छे परिणामों की आशा नहीं की जा सकती। इन दोनों मुद्दों पर ही सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप और विभिन्न सरकारी और अर्द्धसरकारी संगठनों, जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, यूनिसेफ, राष्ट्रीय महिला आयोग, गैर सरकारी महिला संस्थाओं के साथ-साथ देशभर के अनेक धार्मिक नेताओं के उठ खड़े होने से इसके कुछ हद तक भलीभाँति क्रियान्वित होने की संभावनाएँ बलवती

Scanned by CamScanner

हुई हैं। कन्या भ्रूण हत्या की समस्या से निजात पाने के लिए कानूनी प्रावधानों के अतिरिक्त केन्द्र और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा विशेष रूप से पिछले एक दशक में बालिकाओं को संरक्षण, सुरक्षा और विकास की समुचित दशाएं उपलब्ध कराने हेतु विशिष्ट योजनाएँ और कार्यक्रम भी प्रारंभ किए गए हैं। इनमें अधिकांश योजनाएँ और कार्य इस प्रकार के निर्धारित किए गए कि जिनके माध्यम से कन्याओं के अभिभावकों को उनके पालन-पोषण से लेकर शिक्षा और संरक्षण प्राप्त हो सकें। इन योजनाओं के संचालन का भी कुछ क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव हो रहा है। वर्तमान में बने इस सकारात्मक वातावरण का लाभ उठाने हेतु अच्छे परिणामों की आशा की जा सकती है।

निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि भ्रूण हत्या से संबंधित कानून को सशक्त और व्यावहारिक बनाने के साथ-साथ इनका समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना वर्तमान सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में यद्यपि इतना आसान कार्य नहीं है फिर भी उपर्युक्त कदम उठाए जाने से न केवल बालिकाओं के प्रति जन्म से पूर्व बरते जाने वाले भेदभाव के साथ-साथ देश में बिगड़ते स्त्री-पुरुष अनुपात और इसके फलस्वरूप भविष्य में उत्पन्न होने वाली संभावित अन्य अनेक परेशानियों और अव्यवस्थाओं में कमी लाने के लिए निश्चित रूप से मार्ग प्रशस्त हो सकता है। वैसे भी वास्तविकता यह है कि केवल कानून और व्यवस्थाएँ बना देने मात्र से कोई बुराई दूर कर पाना या किसी कठिनाई और बाधा पर विजय पा लेना संभव नहीं है। इसके लिये लोगों को जागृत करना, सभी वर्गों और लोगों का सहयोग लिया जाना, विभिन्न स्तरों पर समन्वय स्थापित करना तथा राजनैतिक, प्रशासकीय एवं सामाजिक प्रतिबद्धता का होना भी समान रूप से अपरिहार्य है।

संदर्भ सूची

1. स्त्री-पुरुष कुछ पुनर्विचार-राजकिशोर
2. सामाजिक समस्याएँ-डॉ. राम आहूजा
3. सामाजिक विघटन एवं सामाजिक समस्याएँ-प्रो. गुप्ता, प्रो. शर्मा
4. मेरा क्या कसूर-पत्रिका, गोरखपुर प्रकाशन
5. योजना-मासिक पत्रिका, भारत सरकार द्वारा संचालित।

□□□

Scanned by CamScanner